न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **184 / 2017** दायर दिनाँक **11.07.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. मंनाराम पुत्र प्रभुराम मेघवाल, उम्र–43साल, निवासी–मल्लाबासनी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम**	1. लक्ष्मणराम पुत्र भागूराम, 2. कँवरी पत्नी खेमाराम, 3. भँवरलाल पुत्र खेमाराम, 4. चवली पुत्री खेमाराम, 5. भोमाराम पुत्र भागूराम, 6. भँवरी पुत्री स्वर्गीय सायरी, 7. लाल पुत्री स्वर्गीय सायरी, 8. सम्पति पुत्री स्वर्गीय सायरी, 9. बिमला पुत्री स्वर्गीय सायरी, 10. डाली पुत्री स्वर्गीय सायरी, 11. चन्दा पुत्री स्वर्गीय सायरी, 12. भागू पुत्र उमाराम, समस्त,जाति–मेघवाल, निवासी–अगरोट, केराप, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 13. जगदीशप्रसाद पुत्र दानाराम, जाति–मेघवाल, निवासी–डाबड़ा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 14. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खतेदारी,
अन्तर्गत धारा– 88 R.T.Act.
व
सपठित धारा–136 L.R. Act.

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 184/2017
दायर दिनाँक 11.07.2017, निर्णय दिनाँक 17.05.2018
कानाराम, वगैरा बनाम् छोटूराम, वगैरा।

उपस्थितः–

1. वादी उपस्थित।

–:: **निर्णय** ::–

दिनाँक **17.05.2018**

वाद का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, मौजा डाबड़ा में खसरा नम्बर 162 रकबा 24.12 बीघा अवस्थित है।

प्रार्थना वादी है कि–

शरहद डाबड़ा में खसरा नम्बर 162 रकबा 24.12 बीघा में चुंका के स्थान पर सही नाम सायरी पुत्री भागूराम मेघवाल प्रतिस्थापित किया जावे एवं वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 11 विधिक वारिशान् के नाम से खातेदारी घोषित की जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 14 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी ने वाद के समर्थन में, शपथ–पत्र, नक्शाट्रेश, जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 ग्राम डाबड़ा खसरा नम्बर 162 की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रतिलिपि पेश है।

न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प–**चौलूखाँ** में पत्रावली पेश हुई। वादी उपस्थित। वादी को सुना गया। वादे ने दावा डिक्री किया जाने का निवेदन किया। वादी ने निवेदन किया है कि, वादग्रस्त भूमि के दर्ज खातेदार की मृत्यु हो चकी है। पत्रावली पर उपलबध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

चूँकि, वादग्रस्त भूमि के रिकॉर्ड मे दर्ज खातेदार की मृत्यु हो चुकी मगर उनके विधिक वारिशान् की सूची पेश नहीं की है इस लिहाज से वाद वादी इस कदर डिक्री किया जाना उचित है कि, मृतक खातेदार के नाम के सम्बन्ध में विस्तृत जाँच की जा कर ही नामान्तरकरण की कार्यवाही की जावे।

अतः वाद वादी निम्न आदेशानुसार डिक्री किया जाता है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 184 / 2017
दायर दिनाँक 11.07.2017, निर्णय दिनाँक 17.05.2018
कानाराम, वगैरा बनाम् छोटूराम, वगैरा।

–:: आदेश ::–

हस्ब दावा शरहद मौजा **डाबड़ा** में वादग्रस्त / वादवर्णित भूमि खसरा नम्बर 162 रकबा 24.12 बीघा भूमि कां नामान्तरकरण बाबत् तहसीलदार डीडवाना को आदेश दिया जाता है कि, मृतक खातेदार के वारिशान् की विस्तृत जाँच कर, नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही की जावे।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–चौलूखाँ

सहायक कलक्टर डीडवाना

निर्णय, आज दिनाँक **17.05.2018** को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–चौलूखाँ

सहायक कलक्टर डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प

क्रमांक:—184—2017 / रीडर / 2018 / दिनाँक 17.05.2018

प्रेषिति:—

तहसीलदार
डीडवाना।

विषय: —निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खतेदारी,
अन्तर्गत धारा— 88 R.T.Act.
व
सपठित धारा—136 L.R. Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. मंगनाराम पुत्र प्रभुराम मेघवाल, उम्र—43साल, निवासी—मल्लाबासनी, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. लक्ष्मणराम पुत्र भागूराम, जाति—मेघवाल, निवासी—अगरोट, केराप, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर, पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प—चौलूखाँ

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प

क्रमांकः–184–2017/रीडर/2018/ दिनाँक 17.05.2018

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खतेदारी,
अन्तर्गत धारा– 88 R.T.Act.
व
सपठित धारा–136 L.R. Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. मंगनाराम पुत्र प्रभुराम मेघवाल, उम्र–43साल, निवासी–मल्लाबासनी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. लक्ष्मणराम पुत्र भागूराम, जाति–मेघवाल, निवासी–अगरोट, केराप, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर, पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–चौलूखाँ

Scanned by CamScanner